

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज०)

प्रकरण संख्या 176/2017

~~क काम~~

बनाम

सलीम पटेल

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०

- आदेश :-

दिनांक 18/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री ~~क. काम~~ ~~जानि नंदा बीर~~ ने जरिये अभियन्तक श्री ~~A.K. शरीफ~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/सम्भक्त खाते की भूमि ग्राम ~~बीगोद~~ प०ह० ~~बीगोद~~ तह० माण्डलगढ में आराजी न०

~~स्वाता न० 86 बी 727/1~~

किला 1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन जमीन विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करण के साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभियन्तक की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बन्ध के अवलोकन से प्रार्थी के जमाबंदी आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने वाले शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए० स्वीकार किया और ग्राम ~~बीगोद~~ की आराजी न० ~~727/1~~,

रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किले जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 300/- /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनाथ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।